पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक विविध मामला संख्या- 3852/2018

(पी.एस. मामला संख्या- 27 वर्ष-2017, थाना-दानापुर जिला-पटना से उत्पन्न)

==========

मनीष प्रियदर्शी, पुत्र- कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा, प्लॉट संख्या- 11, विश्वासरैया नगर, बेली रोड, थाना- रूपसपुर, जिला-पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सोहेल खान, पुत्र- स्वर्गीय मुख्तार खान, कार्यकारी अधिकारी, हेलियोस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारानी कॉम्प्लेक्स, बाईपास रोड, अनीसाबाद, थाना- बाईपास, थाना और जिला-पटना।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

संज्ञान आदेश को रद्द करना-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 92 (4)-पंजीकृत दस्तावेजों की शर्तों को अपंजीकृत दस्तावेजों द्वारा बदला, रद्द या बदला नहीं जा सकता है-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54-पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के बाद, संपत्ति का खरीदार/हस्तांतरणकर्ता संपत्ति का पूर्ण मालिक बन गया-विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31-एक पंजीकृत बिक्री विलेख को केवल ऐसे दस्तावेज को रद्द करने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करके रद्द किया जा सकता है-बिक्री मूल्य के एक हिस्से का भुगतान न करने से बिक्री की वैधता प्रभावित नहीं होगी। -आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत एक अपराध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी करने का इरादा था-केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के

बीच अंतर एक जुर्माना है। यह प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण द्वारा आंका जा सकता है, लेकिन इस बाद के आचरण के लिए एकमात्र परीक्षण नहीं है-आई. पी. सी. की धारा 467 और 468 के तहत अपराध का गठन करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक झूठा दस्तावेज बनाना है-यदि बिक्री विलेख गलत दस्तावेज नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है, और इस तरह आई. पी. सी. की धारा 467 और 468 आकर्षित नहीं है-एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप नागरिक विवाद को जन्म देते हैं लेकिन सूचना देने वाले ने इसे आपराधिक अपराध का रंग दे दिया है, और याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना आपराधिक अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

जिन मामलों पर भरोसा किया गयाः

x. (2020) 7 एस. सी. सी. 366 (दहिबेन बनाम अरविंद भाई कल्याणजी भानुशाली)

xi. (1993) 3 एस. सी. सी. 573 (विद्याधर बनाम माणिकराव)

xii. (2009) 8 एस. सी. सी. 751 (मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य)

xiii. (2018) 7 एस. सी. सी. 581 (शीला सेबेस्टिन बनाम आर. जवाहराज

xiv. (2007) 12 एस. सी. सी. 1 (मोहन गोस्वामी और अन्य। उत्तरांचल राज्य और अन्य)

xv. (2015) 9 एस. सी. सी. 96 (रॉबर्ट जॉन डिसूजा और अन्य बनाम। स्टीफन बनाम गोम्स और एन. आर.)

xvi. (2021) 5 एस.सी.सी 524 (कपिल अग्रवाल बनाम संजय शर्मा)

xvii. (2015) 12 एस. सी. सी. 420 (महमूद यू. आई. रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा और अन्य।

xvii. 2021 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 206

संदर्भित मामलेः

ii (200) 4 एस. सी. सी. 168 (हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक विविध मामला संख्या- 3852/2018

(पी.एस. मामला संख्या- 27 वर्ष-2017, थाना-दानापुर जिला-पटना से उत्पन्न)

==========

मनीष प्रियदर्शी, पुत्र- कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा, प्लॉट संख्या- 11, विश्वासरैया नगर, बेली रोड, थाना- रूपसपुर, जिला-पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सोहेल खान, पुत्र- स्वर्गीय मुख्तार खान, कार्यकारी अधिकारी, हेलियोस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारानी कॉम्प्लेक्स, बाईपास रोड, अनीसाबाद, थाना- बाईपास, थाना और जिला-पटना।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

याचिकाकर्ता/ओं के लिएः श्री संजीव रंजन,

श्री भीम कुमार यादव

प्रत्यर्थी//ओं के लिएः श्री श्यामेश्वर दयाल, ए. पी. पी.

प्रत्यर्थी संख्या-2 के लिएः श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता।

==========

कोरमः माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा

कैव निर्णय

तारीखः 22-01-2024

1. वर्तमान आवेदन 2017 के दानापुर पी. एस. केस नंबर 27 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468,419,420,506 और 34 के तहत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

2. खुद को हेलिओस ग्रुप ऑफ कंपनीज का कार्यकारी अधिकारी होने का दावा करने वाले मुखबिर द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि प्रियदर्शी होटल एंड रिज़ॉर्ट लिमिटेड की ओर से निखिल प्रियदर्शी और मनीष प्रियदर्शी और हेलिओस कंपनियों के अध्यक्ष संजय सिंह के बीच बिक्री दिनांकित 01.06.2012 के समझौते के अनुसार निष्पादित किया गया है। खाता सं. 104, खेसरा सं. 103 और 104, खाटा सं. 109 और 106, तौज़ी सं. 5061, थाना-दानापुर, जिला-पटना माप में 25 कट्टा से संबंधित खगौल रोड, दानापुर में स्थित सूचक देने वाली कंपनी की भूमि की बिक्री के लिए, निखिल प्रियदर्शी और संजय कुमार सिंह के साथ दानापुर उप रजिस्ट्री कार्यालय में 18.02.2014 और 06.03.2014 पर बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे। याचिकाकर्ता/अभियुक्त व्यक्तियों ने प्रतिफल राशि के रुप में 17,25,00,000/- रुपये के मूल्य के विभिन्न चेक दिए और वादा किया कि चेक राशि को मांग पर भुनाया जाएगा। यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने निखिल प्रियदर्शी से बार-बार पूछा कि उनके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, जिसके जवाब में निखिल प्रियदर्शी ने सूचक को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि वह राशि जमा करने के बाद खुद कंपनी को सूचित करेगा। सूचक को संदेह हुआ कि धोखाधड़ी करने के इरादे से आरोपी व्यक्तियों ने चेक दिए थे और वे अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि को फिर

से बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए वे ग्राहकों की तलाश कर रहे थे। हालांकि, हेलियोस समूह के अध्यक्ष और निखिल प्रियदर्शी के बीच हुए समझौते समझ के आधार पर, पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए रद्द करने के विलेख पर हस्ताक्षर किए गए। रद्द करने के विलेख के निष्पादन के बाद भी याचिकाकर्ता ने खुद को भूमि के मालिक होने का दावा करते हुए अन्य ग्राहकों के साथ समझौते किए हैं। निखिल प्रियदर्शी द्वारा एक ग्राहक को किए गए ऐसे समझौते की एक प्रति सूचना देने वाले को उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद, सूचना देने वाले को दृढ़ विश्वास था कि आरोपी व्यक्तियों ने सुनियोजित तरीके से जाली दस्तावेज बनाए हैं और खुद को मालिक होने का दावा करते हुए भूमि को फिर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्ति जाली दस्तावेजों के आधार पर अपने बाहुबलियों को भेजकर भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और भूमि पर तैनात कंपनी के गार्ड को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। अभियुक्त व्यक्ति/याचिकाकर्ता जाली दस्तावेज के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के साथ समझौते को निष्पादित करके कंपनी/मुखबिर के पैसे को पचाने के उद्देश्य से जमीन के टुकड़े को बेईमानी से बेचने की कोशिश कर रहा है।

3. सूचक सोहेल खान की लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, निखिल प्रियदर्शी और मनीष प्रियदर्शी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 467,468,419,420,506 के तहत अपराधों के लिए 2017 का दानापुर थाना मामला संख्या 27 के साथ एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पता चला कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने भा.दं.सं. की धारा 467, 468, 419, 420, 506 और 34 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया, जिसे वर्तमान आवेदन में आक्षेपित किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बिक्री के समझौते के अनुसरण में, तीन बिक्री विलेख निष्पादित/पंजीकृत किए गए थे। ऐसा ही एक पंजीकरण 5

कट्ठा भूमि का था, जिसे प्रबंध निदेशक निखिल प्रियदर्शी के माध्यम से मेसर्स प्रियदर्शी रिज़ॉर्ट होटल लिमिटेड के पक्ष में विलेख संख्या 1959 के माध्यम से 18.02.2014 को पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत बिक्री विलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हेलियोस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से विक्रेता-संजय कुमार सिंह को 2,81,25,000/- रुपये प्राप्त हुआ। उसी दिन मैसर्स प्रियदर्शी रिज़ॉर्ट होटल लिमिटेड के पक्ष में 5.81 कट्ठा भूमि के लिए डीड नंबर 1339 के माध्यम से दूसरा बिक्री विलेख 3,26,82,000/- रुपये की प्रतिफल राशि के लिए पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत बिक्री विलेख में कहा गया है कि विक्रेता द्वारा पूरी राशि प्राप्त की गई थी और विक्रेता ने निष्पादन को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में बिक्री विलेख पर समर्थन किया था। चरकुट विक्रेता द्वारा सौंपा गया था और मूल बिक्री विलेख उप-पंजीयक के कार्यालय में चिरकुट जमा करने पर खरीदार को दिया गया था।

5. तीसरा बिक्री विलेख विशेष रूप से 14.62 कट्ठा भूमि के संबंध में मनीष प्रियदर्शी (याचिकाकर्ता) के पक्ष में 06.03.2014 को पंजीकृत डीड संख्या- 1558 के द्वारा पंजीकृत किया गया था। इस बिक्री विलेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि चेक के आदान-प्रदान के बाद विक्रेता को पूरी राशि नकद में दी गई है। विक्रेता ने खरीददार को चिरकुट सौंप दिया और उप-पंजीयक के कार्यालय में चिरकुट पेश करने पर मूल बिक्री विलेख खरीदार को सौंप दिया गया।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बिक्री पर प्रतिफल राशि का भुगतान चेक के आदान-प्रदान के बाद नकद में किया गया है। सूचक/विरोधी पक्ष संख्या- 2 का दावा है। कि बिक्री प्रतिफल राशि का केवल आंशिक भुगतान किया गया था, जो मान्य नहीं है। रद्द करने का विलेख जो इसके सामने एक अपंजीकृत दस्तावेज है, नकली और जाली दस्तावेज है जिसे सूचक द्वारा उपरोक्त भूमि को हड़पने की साजिश के हिस्से के रूप में बनाया गया है। आंशिक भुगतान बिक्री विलेख को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।

7. साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 (4) के संदर्भ में पंजीकृत दस्तावेज़ की शर्तों को अपंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा परिवर्तित, रद्द या बदला नहीं जा सकता है और इसलिए विशुद्ध रूप से नागरिक विवाद को आपराधिक अपराध का रंग दिया गया है। वर्तमान प्राथमिकी याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत मनमुटाव को निपटाने के लिए उससे बदला लेने के उद्देश्य से दर्ज की गई है।

8. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्राथमिकी को आपराधिक अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग में याचिकाकर्ता से जबर्दस्ती पैसे वसूल करने के उद्देश्य से दायर किया गया है। प्राथमिकी को सिर्फ पढ़ने से यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी संख्या- 2 ने दावा किया है कि रद्द करने के अधिकार के अपंजीकृत विलेख के आधार पर, संपत्ति में याचिकाकर्ता का स्वामित्व और हित समाप्त हो गया है और संपत्ति को सूचक यानी कंपनी को वापस कर दिया गया है। इसके विपरीत, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के बाद याचिकाकर्ता का अधिकार, स्वामित्व और हित पूर्ण हो गया और संपत्ति का खरीदार/हस्तांतरणकर्ता संपत्ति का पूर्ण मालिक बन गया। किसी भी परिस्थिति में संपत्ति के स्वामित्व को रद्द करने के अपंजीकृत विलेख द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक बार बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत हो जाने के बाद, दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है यानी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करना और पक्षकार केवल विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 के तहत मुकदमा दायर करके ही ऐसे दस्तावेज को रद्द करने के लिए घोषणा की मांग कर सकते हैं। सूचक ने बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए कानून के प्रावधान का सहारा नहीं लिया है।

9. रद्दीकरण विलेख के निष्पादन का आधार, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, संपूर्ण बिक्री प्रतिफल राशि का भुगतान न करना या बिक्री प्रतिफल का केवल आंशिक भुगतान आंशिक भुगतान के रूप में गलत धारणा बिक्री विलेख को रद्द करने का आधार

नहीं हो सकती है और याचिकाकर्ता के लिए एकमात्र सहारा/उपाय अवैतनिक बिक्री प्रतिफल राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना है। शेष बिक्री मूल्य का भुगतान न करने से बिक्री अमान्य नहीं होनी चाहिए। वह (2020) 7 एस. सी. सी. 366 में प्रतिवेदित दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुशाली के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 29.8 में (1993) 3 एस. सी. सी. 573 विद्याधर बनाम माणिकराव में प्रतिवेदित उपरोक्त निर्णय के अपने पहले के फैसले पर ध्यान दिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "भुगतान या वादा या आंशिक भुगतान और आंशिक वादा" शब्द इंगित करते हैं कि बिक्री विलेख के निष्पादन के समय पूरे मूल्य का वास्तविक भुगतान बिक्री को पूरा करने के लिए अनिवार्य नहीं है। भले ही पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है, और उसके बाद पंजीकृत किया जाता है, बिक्री पूरी हो जाएगी, और लेन-देन के तहत हस्तांतरणकर्ता को शीर्षक दिया जाएगा। बिक्री मूल्य के किसी हिस्से का भुगतान न करने से बिक्री की वैधता प्रभावित नहीं होगी। एक बार जब संपत्ति में स्वामित्व पहले ही पारित हो चुका है, भले ही शेष बिक्री पर प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया हो, इस आधार पर बिक्री को अमान्य नहीं किया जा सकता है। "बिक्री" का गठन करने के लिए, पक्षों को कीमत का भुगतान करने के समझौते पर या तो भविष्य में या भविष्य में संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करने का इरादा रखना चाहिए। इरादा बिक्री विलेख के पाठ, पक्षों के आचरण और अभिलेख पर साक्ष्य से एकत्र किया जाना है।

10. उन्होंने आगे तर्क दिया कि भा.दं.सं. की धारा 467 या 468 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि याचिकाकर्ता पर न तो दस्तावेज़ में बदलाव करने या छेड़छाड़ करने का आरोप है या उसे भा.दं.सं. की धारा 464 के तहत परिभाषित किए गए झूठे दस्तावेज़ का निर्माता कहा जाता है जो धारा 467 या 468 भा.दं.सं. के तहत अपराध है। सूचक को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठा दस्तावेज़ बनाने या झूठा दस्तावेज़ पेश करने के

संबंध में किसी भी आरोप के अभाव में, जालसाजी का कोई मामला नहीं बनता है। आरोप अपने आप में जालसाजी का अपराध नहीं है। वे मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य (2009) 8 एस. सी. सी. 751 में प्रतिवेदित और शीला सेबेस्टिन बनाम आर. जवाहराज ने (2018) 7 एस. सी. सी. 581 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

11. इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि धारा 420 भा.दं.सं. के तहत धोखाधड़ी का अपराध भी नहीं बनाया गया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से धोखा देने का कोई आरोप नहीं है जो धारा 420 भा.दं.सं. के तहत अपराध होने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्राथमिकी में कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता का बिक्री विलेख के निष्पादन करने के समय सूचक/कंपनी को धोखा देने का धोखाधड़ी का या बेईमान इरादा था। वे इंदर मोहन गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य (2007) 12 एस. सी. सी. 1 में प्रतिवेदित और रॉबर्ट जॉन डिसूजा और अन्य बनाम स्टीफन वी. गोम्स और अन्य (2015) 9 एस. सी. सी. 96 में प्रतिवेदित के मामलो पर भरोसा करते है। बिक्री विलेख के निष्पादन के तीन साल बाद दर्ज की गयी है और लंबे समय तक चुप रहना ही सूचक की दुर्भावनापूर्ण मंशा को दर्शाता है।

12. (2021) 5 एस. सी. सी. 524 में प्रतिवेदित कपिल अग्रवाल बनाम संजय शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को खरीदार के खिलाफ उत्पीड़न के हथियार के रूप में लिया जा रहा है और अदालत आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियार के रूप में उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देने में अतिरिक्त सतर्कता बरत सकती है।

13. इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि संज्ञान लेने का आदेश पूरी तरह से गैर-विवेक को दर्शाता है क्योंकि दंडाधिकारी द्वारा यह राय बनाने के लिए कोई संतोषजनक कारण दर्ज नहीं किया गया है कि विचाराधीन अपराध समन जारी करने के उद्देश्य से किया गया है।

संक्षिप्त कारण बताने में विफलता आदेश को असुरक्षित बनाती है जैसा कि (2015) 12 एस. सी. सी. 420 महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा और अन्य के मामले में माना गया था।

14. विरोधी पक्ष सं.-2 के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उस तर्क और अभिलेख पर सामग्री की सुनवाई के दौरान जांच की जाएगी। शिकायत में लगाए गए आरोप अन्यथा सही हैं या नहीं, इसका फैसला मुकदमे के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए, वे 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 206 में प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। उक्त निर्णय के पैराग्राफ-31 का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भले ही सूचना देने वाले के लिए नागरिक उपचार उपलब्ध हो, याचिकाकर्ता को आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। वे 2017 (4) पी. एल. जे. आर. एस. सी. 207 में प्रतिवेदित एक अन्य फैसले पर भरोसा करते है लेकिन वही मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान वकील और विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद सामग्री से जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि याचिकाकर्ता सूचनादाता-कंपनी द्वारा पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से मूल्यवान प्रतिफल के लिए बेची गई भूमि के एक टुकड़े का खरीदार है। याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित और पंजीकृत बिक्री विलेख में बिक्री के लिए प्रतिफल राशि 2,39,86,000 रुपये के रूप में उल्लिखित है। बिक्री विलेख में कहा गया है कि विक्रेता को चेक के आदान प्रदान के माध्यम से प्रतिफल राशि प्राप्त होगी। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि चेक के आदान-प्रदान के बाद पूरी राशि का भुगतान नकद में किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिफल राशि का भुगतान न करने के आधार पर

रद्द करने का विलेख जाली और मनगढ़ंत है और पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने के किसी भी अपंजीकृत विलेख के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2020) 7 एस. सी. सी. 366 में प्रतिवेदित के मामले में दिए गए निर्णय में कहा है कि "भले ही पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है, और उसके बाद पंजीकृत किया जाता है, बिक्री पूरी हो जाएगी, और लेन-देन के तहत हस्तांतरणकर्ता को अधिकार दिया जाएगा"।

17. प्राथमिकी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 420,467 और 468 के तहत अपराध से बहुत कम कोई अपराध नहीं बनाया गया है। भा.द.सं. की धारा 420 के तहत अपराध साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी करने का इरादा था। प्राथमिकी में शुरुआत से ही ऐसा कोई इरादा नहीं था जैसा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है और बिक्री विलेखों को विधिवत निष्पादित और पंजीकृत किया गया था।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2000) 4 एस. सी. सी. 168 में प्रतिवेदित मामले में अभिनिर्धारित किया है कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। यह प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है लेकिन यह बाद के आचरण के लिए एकमात्र परीक्षा नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को सही नहीं दिखाया जाता है, यह वह समय है जब अपराध को किया गया कहा जाता है। इसलिए यह इरादा है जो अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसकी धोखाधड़ी या बेईमान मंशा है। बाद में वादे को पूरा

करने में उनकी विफलता से शुरू में ही इस तरह के दोषपूर्ण इरादे से, यानी जब उन्होंने वादा किया था, यह नहीं माना जा सकता है।

19. यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता चेक के आदान-प्रदान के बाद प्रतिफल राशि का भुगतान करने में विफल रहा, जैसा कि पंजीकृत बिक्री विलेख में पढ़ा गया है, भा.द.सं. की धारा 420 के तहत अपराध नहीं होगा, विशेष रूप से जब प्राथमिकी में कोई आरोप नहीं है कि शुरू से ही याचिकाकर्ता का इरादा अपने वादे को पूरा करने का नहीं था। इसके अलावा भा.द.सं. की धारा 467 और 468 के तहत अपराध का गठन करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक गलत दस्तावेज बनाना है। इस संबंध में, (2009) 8 एस. सी. सी. 751 में प्रतिवेदित मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ संख्या- 13 और 14 प्रासंगिक है जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करते है। उसी के पैराग्राफ संख्या- 13 और 14 को तैयार संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः-

*"**13.** धारा 467 और 471 के तहत अपराध के लिए पूर्ववर्ती शर्त जालसाजी है। जालसाजी के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक गलत दस्तावेज़ (या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका हिस्सा) बनाना है। यह मामला किसी भी झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है। इसलिए, सवाल यह है कि क्या पहले अभियुक्त ने किसी संपत्ति को बेचने के लिए दो बिक्री विलेखों को निष्पादित और पंजीकृत करने में (भले ही यह माना जाए कि यह उसका नहीं था), अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत से झूठे दस्तावेज बनाए और निष्पादित किए।*

***14.** दंड संहिता की धारा 464 के विश्लेषण से पता चलता है कि यह झूठे दस्तावेजों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता हैः*

1. पहला वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी दस्तावेज़ को यह विश्वास दिलाने के इरादे से बनाता है या निष्पादित करता है कि ऐसा

दस्तावेज़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह बनाया या निष्पादित नहीं किया गया था।

2. दूसरा वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी से या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज को अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए जाने या निष्पादित किए जाने के बाद, वैध प्राधिकरण के बिना, किसी भी भौतिक भाग में बदल देता है।

3. तीसरा वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी से या धोखाधड़ी से किसी भी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने या बदलने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति (ए) मानसिक अस्वस्थता; या (बी) नशा; या (सी) उस पर किए गए धोखे के कारण, दस्तावेज़ की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जान सकता है।

संक्षेप में, एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने एक "झूठा दस्तावेज" बनाया है, यदि (i) उसने किसी और के होने या किसी और द्वारा अधिकृत होने का दावा करते हुए एक दस्तावेज बनाया या निष्पादित किया; या (ii) उसने एक दस्तावेज में बदलाव या छेड़छाड़ की; या (iii) उसने धोखे का अभ्यास करके, या किसी ऐसे व्यक्ति से एक दस्तावेज प्राप्त किया जो अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं था। ”

20. पूरे प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सूचना देने वाले/कंपनी यानी मालिक का प्रतिरूपण करके या मालिक द्वारा अधिकृत या सशक्त होने का झूठा दावा करके बिक्री विलेख को निष्पादित किया। यह सूचना देने वाले/कंपनी का मामला नहीं है कि निष्पादित बिक्री विलेख एक नकली/जाली दस्तावेज है और यदि बिक्री विलेख एक

झूठा दस्तावेज नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है। इस प्रकार, आई. पी. सी. की धारा 467 और 468 आकर्षित नहीं होती हैं।

21. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों को देखने पर, मेरी राय में, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप नागरिक विवाद को जन्म देते हैं लेकिन सूचना देने वाले ने इसे आपराधिक अपराध का रंग दे दिया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना आपराधिक न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समतुल्य होगा।

22. तदनुसार, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, मैं याचिकाकर्ता के संज्ञान के आदेश को रद्द करना उचित समझता हूँ।

23. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा दानापुर के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर द्वारा 2017 के दानापुर पी. एस. मामला संख्या 27 में पारित दिनांक 21.07.2017 के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है।

24. आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।